


<p>तारीख हुकम</p>	<p style="text-align: center;">FORM No. III फर्ड अहकाम (नियम 15) हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज</p> <p style="text-align: center;">अज अदालत :- जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0) राजेन्द्र गुर्जर बनाम लोक सूचना अधि0 (अति0जिला कलक्टर धौलपुर) प्रथम अपील, (मु0संख्या 40/2022) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2022/68)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये</p>
<p>20.10.2022</p>	<p>अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक: प्रथम अपील/आरटीआई/2022/574 दिनांक 19.10.2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना हेतु अपीलार्थी का आवेदन कार्यालय के पत्र क्रमांक/संपर्क/सू.अ./2022/445 दिनांक 25.08.2022 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन स्थानान्तरित कर तहसीलदार बसेडी को भिजवाया जा चुका है तथा अपीलार्थी को समसंख्यक पत्रांक 446-47 दिनांक 25.08.2022 द्वारा सूचित भी किया जा चुका है जिसकी पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।</p> <p>अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार बसेडी से संबधित होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन कार्यालय के पत्र क्रमांक/संपर्क/सू.अ./2022/445 दिनांक 25.08.2022 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन स्थानान्तरित कर तहसीलदार बसेडी को भिजवाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तहसीलदार का प्रथम अपीलीय अधिकारी सम्बधित उपखण्ड अधिकारी है। अपीलार्थी उपखण्ड अधिकारी बसेडी को प्रथम अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत</p>	

यह अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्त को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर